अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), षिवगंज

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रतनलाल पुत्र मोहनलालजी 2. लक्ष्मण कुमार पुत्र मोहनलालजी 3. चम्पाबाई बेवा मोहनलालजी जातियान मेणा निवासीगण जैतपुरा तहसील शिवगंज अधिवक्ता श्री सुनिल गेहलोत	बनाम	1.तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज 2.घुटी पत्नि देवाराम पुत्री पालाजी मेणा निवासी राजपुरा तहसील सिरोही

वाद संख्या–3 / 2020

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: **निर्णय** दिनांक 02.12.2021

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण का पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जैतपुरा तहसील शिावगंज में स्थित आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 5.06 बीघा किस्म बारानी दोयम खातेदार मोहनलाल पुत्र पालाजी एव हंसाराम पुत्र पालाजी के नाम से दर्ज है। मोहनलाल पुत्र पालाजी का स्वर्गवास दिनाक 15.12.2018 को हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 775 दिनाक 27.4.2019 के जरिये उत्तराधिकारी मे वादीगण का नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी मे तथा 1/2 हिस्सा हंसाराम पुत्र पालाजी मेणा के नाम से दर्ज हुआ है, जबकि हंसाराम के नाम का पालाजी के कोई पुत्र नही था बल्कि मोहनलाल एंव देशाराम दो ही जायन्दा पुत्र थे। राजस्व रेकर्ड मे हंसाराम नाम गंलत दर्ज चला आ रहा है जबकि सही नाम देशाराम था। देशाराम की शादी शुदा नही था जो दिनाक 22.2.2002 को नाऔलाद मृत्यु फौत हो जाने से वादीगण ही कानूनन वारिस एंव उत्तराधिकारी है। निर्वाचन पहचान पत्र एंव मृत्यु प्रमाण पत्र मे नाम देशाराम दर्ज है। घूटी पत्नि देवाराम पुत्री स्व. पालाजी मीणा स्वर्गीय मोहनलाल एंव स्व. देशाराम की सगी बहिन है परन्तु उसका वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार नही है। राजस्व रेकर्ड मे हंसाराम नाम गलत दर्ज हो गया था वादीगण एंव मोहनलाल व देशाराम अनपढ व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड की जॉच नही कर सके न ही कानूनी प्रक्रिया की जानकारी थी जिससे देशाराम का नाम हंसाराम के स्थान पर दर्ज नही करवा सके उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने एंव के.सी.सी के कागजात तैयार करवाने एंव जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर वादीगण को राजस्व रेकर्ड मे त्रृटी की जानकारी हुई जिससे उक्त वादी खातेदारी घोषणा एंव रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया है। गॉव जैतपुरा मे हंसाराम पुत्र पालाजी के नाम का कोई व्यक्ति नही है स्व. पालाजी के दो जांयदा संतान मोहनलाल व देशाराम ही थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वादीगण स्व मोहनलाल व स्व. देशाराम के एक मात्र उत्तराधिकारी एंव वारिसान है। जो इनकी चल एंव अचल सम्पति पर काबिज है देशाराम नाऔलाद फौत हो गया था स्व देशाराम वादी संख्या एक व दो का सगा चाचा लगता था एंव रक्त सम्बध होने से वादीगण स्व देशाराम का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे वादीगण सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिससे हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है जिससे प्रतिवादी संख्या दो को अधिकार नही है। अतः वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी मोजा जैतपुरा खसरा नम्बर 108 रकबा 5–06 बीघा सम्पूण भूमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित कने की डिक्री वादीगण के हक मे प्रदान करावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जो बाद तामिली शामिल पत्रावली किये गये, दिनाक 27.8.2020 को प्रतिवादी संख्या दो घूटी मय अधिवक्ता जगदीश कुमार सुथार ने उपस्थित होकर वकालातनामा एंव जबाबदावा मय शपथ पत्र पेश किया जिसमे स्व पालाजी के जायन्दा पुत्र मोहनलाल [illegible] घूटी है व देशाराम लाऔलाद फौत होने एंव वादीगण ही उसके वारिसान है तथा [illegible] संख्या दो की शादी हो जाने से राजपुरा निवास करती है जिसका हिन्दु [illegible] के अनुसार अनुसूचित जाति दो मीणा की सदस्य होने से उसे अपने पिता की [illegible] कोई अधिकारी प्राप्त नही है। हंसाराम नाम का मेरा कोई भाई नही है नही इस नाम का कोई व्यक्ति है सही नाम [illegible] राम पुत्र पालाजी था जो मतदाता पहचान पत्र मे दर्ज है। वादीगण [illegible] ह कमे वाद डिक्री [illegible] ने हेतु प्रतिवादीनी संख्या दो सहमत है। दिनाक 2.12.2021 को प्रतिवादी संख्या एक ता तीन ने शपथ पत्र पेश किया तथा तहसीलदार शिवगंज जबाब मे बताया कि देशाराम नाम से पालाराम का पुत्र था उसकी शादी अंशीदेवी खेजडिया से हुई थी उसके कोई संन्तान नही होने से एंव देशाराम की मृत्यु होने से अंशीदेवी दुजाना गॉव नाते चली गई अतः हंसाराम के स्थान पर देशाराम दर्ज किया जाता है तो सरकार के हितो पर कोई प्रतिकुल असर नही पडता है। जो शामिल पत्रावली किये गये। ....

..................शेष पेज संख्या दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.05.13 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

पेज सख्या–दो

वाद पत्र मे बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन एंव बहस पर मनन किया गया। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या दो एंव तहसीलदार शिवगंज की और से प्रस्तुत जबाब के आधार पर पर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सवत् 2074–2077 मौजा जैतपुरा के खसरा नम्बर 108 रकबा 5–06 बीघा किस्म बारानी बारानी दोयम नाम खातेदार मोहनलाल, हंसाराम पि. पालाजी जाति मेणा साकिन देह खातदेार मे दर्ज गलत नाम हंसाराम को साक्ष्य दस्तावेज जबाबदावा प्रतिवादी सख्या 2 घूटी पुत्री पालाराम एंव जबाब संरकार एंव मतदाता पहचान पत्र के आधार पर हंसाराम के स्थान पर देशाराम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दंरामद करने का आदेश दिया जाता है तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या दो घूटी अनुसूचित जाति मीणा की सदस्य होने अपने पिता की सम्पति को पाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होने से वादीगण संख्या एक लगाय तीन जो स्वर्गीय मोहनलाल पुत्र पालाजी के वैघ उत्तराधिकारी होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.12.2021 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.05.13 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), षिवगंज

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.रतनलाल पुत्र मोहनलाल 2.लक्ष्मण कुमार पुत्र मेाहनलाल 3.चम्पाबाई बेवा मोहनलाल जातियान मेणा निवासी जैतपुरा		1.तहसीलदार शिवगंज 2.घुटी पत्नि देवाराम पुत्री पालाजी जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील सिरोही।

मुकदमा नम्बर 03 / 2020

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 02.12.2021

यह मुकद्वमा आज वास्ते उपस्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण पेश होने से आदेश दिया जाता है व डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानो के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाता है कि मौजा जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील शिवगंज में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर **108** रकबा 5–06 बीघा किस्म बारानी दोयम मे दर्ज गलत नाम खातेदार हंसाराम के स्थान पर देशाराम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या दो घूटी पुत्री पालाजी अनुसूचित जाति मीणा की सदस्य होने के कारण उसे अपने पिता की सम्पति प्राप्त का अधिकार प्राप्त नही होने से वादीगण संख्या एक लगाय तीन जो स्वर्गीय मोहनलाल पुत्र पालाजी के वैघ वारिसान एंव उत्तराधिकारी होने से उन्हे उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को निर्णय / डिक्री की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे ।

आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (उपखड अधिकारी)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

स्टाम्प अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिषनर		फिस कमिषनर	
मुतफरीक		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरीक	
मीजान		मीजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.05.13 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested